न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
अनुवान बलराम बनाम राजस्थान सरकार
वाद–पत्र संख्या – 126/2024
निर्णय दिनांक ....13/11/25.....

बलराम पुत्र पूर्णाराम जाति मेघवाल निवासी सात्यूं तहसील तारानगर जिला चूरू

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी. एक्ट, 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

उपस्थितिः–

1. **श्री जितेन्द्र सिंह राठौड़ एवं श्री आशीष दाधीच अधिवक्ता वास्ते वादी**
2. **तहसीलदार तारानगर वास्ते पैरोकार राज**

–::निर्णय::–

वादी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि गांव सात्यूं पटवार हल्का सात्यूं तहसील तारानगर जिला चूरू के खाता संख्या 3 के खसरा संख्या 1585/503 की 4.7925 हैक्ट. राजस्व रिकार्ड में सहखातेदार दर्ज है। उक्त खसराजात कृषिभूमि में इंतकाल के समय राजस्व कर्मचारियों की भूलवश व कम्प्यूटर टाईप की गलती से वर्तमान राजस्व जमाबंदी में वादी बलराम का नाम मुकेश पुत्र पूर्णाराम दर्ज हो गया, जो गलत दर्ज हुआ है। जबकि वादी का सही नाम बलराम पुत्र पूर्णाराम है। वादी के सभी दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, पैन कार्ड, जनाधार कार्ड में नाम बलराम पुत्र पूर्णाराम अंकित है। वादी का नाम जमाबंदी में गलत दर्ज होने के कारण वादी राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है जिससे वादी को काफी नुकसान हो रहा है। इसलिये वादी उक्त खसराजात की जमाबंदी में अपना नाम दुरूस्त करवाना चाहता है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि कृषिभूमि सात्यूं पटवार हल्का सात्यूं तहसील तारानगर जिला चूरू के खाता संख्या 3 के खसरा संख्या 1585/503 की 4.7925 हैक्ट. के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अंकित वादी अपना नाम मुकेश पुत्र पूर्णाराम के स्थान पर बलराम पुत्र पूर्णाराम दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारनगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। मुताबिक पटवारी जांच रिपोर्ट के विवादित खसराजात भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम मुकेश पुत्र पूर्णाराम जाति मेघवाल दर्ज है। उक्त नाम जिरये नामान्तरण सं. 5343 (विरासतन) के दर्ज हुआ है। उक्त नामान्तरण दर्ज करते समय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये शपथ पत्र में प्रार्थी का नाम मुकेश पुत्र पूर्णाराम ही लिखा हुआ था। इसके अतिरिक्त तत्कालिक हल्का पटवारी द्वारा बनाये गये फर्द मौका रिपोर्ट में भी प्रार्थी का नाम मुकेश पुत्र पूर्णाराम ही दर्ज है। अतः नामान्तरण दर्ज करते समय किसी प्रकार की लिपिकीय त्रुटि नहीं हुई है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेजों में नाम बलराम पुत्र पूर्णाराम दर्ज है। आम पूछताछ पर दोनों का एक ही व्यक्ति होना बताया गया। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। वकील वादी द्वारा साक्ष्य करवाने हेतु समय चाहा गया है।

वाद पत्र के समर्थन में वकील वादी ने वादी बलराम पुत्र पूर्णाराम एवं वादी के भाई सुरेश पुत्र पूर्णाराम का शपथ पत्र पेश किया और बयान लेखबद्ध करवाये। साक्ष्य प्रतिवादी नहीं कराये गये।

बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। वकील वादी के कथनों का गौर किया गया तथा वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी

Jayendra

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज धार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, पैन कार्ड, जनाधार कार्ड में वादी का नाम बलराम पुत्र पूर्णाराम पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम मुकेश पुत्र पूर्णाराम अंकित है। नाम में भिन्नता से वादी को परेशानी होना सम्भव है। अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही सात्यूं पटवार हल्का सात्यूं तहसील तारानगर जिला चूरू के खाता संख्या 3 के खसरा संख्या 1585/503 की 4.7925 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज वादी का नाम मुकेश पुत्र पूर्णाराम **Delete** कर इसके स्थान पर वादी का नाम बलराम पुत्र पूर्णाराम अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13/11/25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

Rajendra

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)